

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 04] No. 04] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 02, 2019/पौष 12, 1940

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 02, 2019/PAUSHA 12, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2018

का.आ. 07(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 148 सी (राजस्थान राज्य में रारा-48 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर कि.मी. 280.300 पर रारा-52 को इंटरसेक्ट करते हुए और कि.मी. 222.750 पर रारा-21 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है।

[फा. सं. एनएच-14013/5/2017-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2018

S.O. 07. (E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrust National Highway No.148C (The highway starting from its junction with NH 48 at K.m. 280.300 intersecting NH-52 and terminating at its junction with NH-21 at k.m. 222.750 in the state of Rajasthan) to the National Highways Authority of India.

[F. No. NH-14013/5/2017-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

05 GI/2019